प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

विविध अपील क्रमांक 582/2004

अपीलार्थी: द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण: रेवती चंद्राकर एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत विविध अपील)

उपस्थित: वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्री कुमार अग्रवाल सहित श्री आनंद गुप्ता, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी ।

श्री अमियकांत तिवारी, अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 6 ।

श्री अभिषेक शर्मा, अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी क्रमांक 7 ।

निर्णय

(दिनांक **06/12/2013** को पारित)

1. द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड/अपीलार्थी ने मोटर यान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'एम.वी. एक्ट') की धारा 173 के अधीन चतुर्थ अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर (संक्षेप में 'दावा अधिकरण') द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 08/2003 में पारित अधिनिर्णय दिनांक 23/02/2004 को चुनौती देते हुए यह अपील दायर की है, जिसके द्वारा दावा अधिकरण ने दावेदारों द्वारा प्रस्तुत दावा याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 6% ब्याज के साथ कुल रु 9,12,720 की राशि अधिनिर्णित की है।

2. इस अपील के न्यायनिर्णयन हेतु आवश्यक संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:

   2.1 दावेदार—रेवती चंद्राकर एवं अन्य, जो मृतक खोरबाहरा चंद्राकर के विधिक प्रतिनिधि हैं, ने दावा अधिकरण के समक्ष एम.वी. एक्ट की धारा 163-ए के अंतर्गत दावा याचिका क्रमांक 08/2003 इस आशय के साथ प्रस्तुत की कि दिनांक 15/12/2002 को खोरबाहरा चंद्राकर (मृतक) ओमप्रकाश धीवर के साथ मोटरसाइकिल क्रमांक CG-04/ZE/6177 पर रायपुर से ग्राम नारा जा रहे थे। उक्त मोटरसाइकिल ओमप्रकाश धीवर द्वारा चलाई जा रही थी और खोरबाहरा चंद्राकर पीछे (पिछली सवारी के रूप में) बैठे थे। जब वे एफ.सी.आई. गोदाम के समीप पहुँचे, मोटरसाइकिल का टायर फट गया और मोटरसाइकिल असंतुलित होकर ट्रक से जा टकराई, जिससे ओमप्रकाश धीवर और खोरबाहरा चंद्राकर दोनों को चोटें आईं और तत्पश्चात् उनकी मृत्यु हो गई। दुर्घटना के समय खोरबाहरा चंद्राकर की आयु लगभग 40 वर्ष थी और वह शिक्षक के रूप में रु 8,400 प्रति माह अर्जित कर रहे थे। दावेदारों ने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी क्रमांक 7 से संयुक्ततः एवं पृथक्तः रु 12,49,000 के प्रतिकर का दावा किया।

2.2 उक्त आवेदन का वाहन स्वामी और बीमा कंपनी द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया कि वे प्रतिकर भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं हैं।

2.3 दावा अधिकरण ने अपने आक्षेपित अधिनिर्णय द्वारा यह निर्धारित किया है कि मृतक खोरबाहरा चंद्राकर की मृत्यु मोटरसाइकिल का टायर फटने के कारण हुई और वह 6% ब्याज सहित रु 9,12,720 के हकदार हैं।

3. अपीलार्थी/बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्री कुमार अग्रवाल ने तर्क दिया कि दावा अधिकरण ने एम.वी. एक्ट की धारा 163-ए के तहत आवेदन को स्वीकार कर मृतक की आय रु 91,272 प्रति वर्ष निर्धारित करने में विधि की गंभीर त्रुटि की है। एम.वी. एक्ट की धारा 163-ए में अधिनियमित द्वितीय अनुसूची के दृष्टिगत, वार्षिक आय की अधिकतम सीमा रु 40,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमियकांत तिवारी और प्रत्यर्थी क्रमांक 7 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक शर्मा ने निवेदन किया कि दावा अधिकरण आक्षेपित अधिनिर्णय पारित करने में पूर्णतः न्यायोचित था और उन्होंने अपील का विरोध किया।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, उनके परस्पर तर्कों पर विचार किया तथा दावा अधिकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया।

6. दीपाल गिरीशभाई सोनी एवं अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बड़ौदा[1] के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:—

"(42) इस प्रकार, अध्याय XI उन लोगों के वर्ग को तत्काल अनुतोष प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था जिनकी वार्षिक आय रु 40,000/- से अधिक नहीं है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिनियम की धारा 163-ए और उसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची के अनुसार, प्रतिकर का भुगतान एक संरचित सूत्र पर किया जाना है, जो न केवल पीड़ित की आयु और उसकी आय को ध्यान में रखता है बल्कि इसके लिए सुसंगत अन्य कारकों को भी ध्यान में रखता है। अतः, इसके अधीन किया गया अधिनिर्णय दावे के पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में होगा, जैसा कि अधिनियम के साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में निहित विभिन्न कॉलम से स्पष्ट होता है। यह अंतरिम प्रकृति का नहीं है। कॉलम 1 की संलग्न टिप्पणी, जो घातक दुर्घटनाओं से संबंधित है, स्थिति को और अधिक स्पष्ट करती है कि प्रतिकर की कुल राशि में से एक-तिहाई हिस्सा उन खर्चों के मद में घटाया जाना है जो पीड़ित स्वयं के भरण-पोषण पर खर्च करता यदि वह जीवित होता। इसके साथ ही कॉलम संख्या 2 से 6 में निहित प्रतिकर के अन्य शीर्षों से यह संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि संसद का आशय पीड़ितों के उस वर्ग को पर्याप्त प्रतिकर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना बनाने का था, जिन्हें बिना किसी दीर्घकालिक मुकदमेबाजी के प्रतिकर राशि की आवश्यकता हो,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

[1] (2004) 5 SCC 385

और जहाँ वाहन चालक की ओर से किसी लापरवाही या मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न किसी अन्य दोष को सिद्ध करना आवश्यक न हो।

(67) अतः, हमारी राय है कि कोडाला 2001 ACJ 827 (SC) का निर्णय सही रूप में किया गया है। तथापि, हम कोडाला (पूर्वोक्त) के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं कि यदि कोई व्यक्ति धारा 163-ए के प्रावधानों का अवलंब लेता है, तो रु 40,000/- की वार्षिक आय को एक अधिकतम सीमा के रूप में माना जाएगा। हमारी राय में, धारा 163-ए के तहत कार्यवाही एक सामाजिक सुरक्षा प्रावधान होने के कारण एक विशिष्ट योजना प्रदान करती है, जिसका लाभ केवल वे ही ले सकते हैं जिनकी वार्षिक आय रु 40,000/- तक है। अन्य सभी दावों का निर्धारण अधिनियम के अध्याय XII के अनुसार किया जाना आवश्यक है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. यह निर्विवाद है कि मृतक की मृत्यु मोटर दुर्घटना में लगी गंभीर शारीरिक चोटों के कारण हुई। धारा 163-ए के सरल पठन से यह स्पष्ट है कि यह संरचित सूत्र के आधार पर प्रतिकर भुगतान हेतु विशेष प्रावधान प्रदान करती है। इस धारा के अधिनियमन के पीछे विधायी मंशा बिना किसी लंबी सुनवाई के या दुर्घटना कारित करने में लापरवाही सिद्ध किए बिना, एक पूर्व-निर्धारित राशि का अधिनिर्णय प्रदान करना था। उक्त धारा उन लोगों के वर्ग को तत्काल अनुतोष प्रदान करने के अधीन है, जिनकी वार्षिक आय रु 40,000 से अधिक नहीं है। वर्तमान मामले में, स्पष्ट रूप से अधिकरण ने पीड़ित की वार्षिक आय रु 40,000 से अधिक निर्धारित की है। मेरी राय में,

अधिकरण ने धारा 163-ए सहपठित द्वितीय अनुसूची में निर्धारित राशि से कहीं अधिक प्रतिकर अधिनिर्णित कर विधि की गंभीर त्रुटि की है।

8. इस स्तर पर, कर्नाटक उच्च न्यायालय के ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम एन. कुन्हापु[2] के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ देना सुसंगत होगा, जिसमें यह माना गया है कि जहाँ दावेदारों के साक्ष्य रु 40,000 से अधिक की वार्षिक आय दर्शाते हैं, वहाँ मामले को नए सिरे से न्यायनिर्णयन हेतु वापस भेजा (रिमांड) जा सकता है।

9. वर्तमान मामले में, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि मृतक की वार्षिक आय रु 40,000 से अधिक है, जो धारा 163-ए सहपठित द्वितीय अनुसूची में प्रदत्त बाह्य सीमा है। अतः, न्याय के हित में यह उचित होगा कि मामले को नए सिरे से न्यायनिर्णयन हेतु संबंधित दावा अधिकरण को प्रतिप्रेषित किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उपरोक्त विवेचना के आलोक में और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं दीपाल गिरीशभाई सोनी (पूर्वोक्त) में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि दावा अधिकरण का निर्णय और अधिनिर्णय विधि के विपरीत है तथा अपास्त किए जाने योग्य है, और मामले का एम.वी. एक्ट की धारा 166 के अधीन नए सिरे से न्यायनिर्णयन किया जाना आवश्यक है।

11. परिणामतः, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है:

(i) आक्षेपित निर्णय और अधिनिर्णय को अभिखण्डित और अपास्त किया जाता है।

---
[2] 2007 ACJ 30 (Karnataka)

(ii) मामले को नए सिरे से न्यायनिर्णयन हेतु संबंधित दावा अधिकरण को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

(iii) चूंकि मामला लंबे समय से लंबित है, दावा अधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि वह इस न्यायालय के निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर मामले का यथासंभव शीघ्रता से निराकरण करे।

(iv) यह अवलोकित किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है और दावा अधिकरण इस न्यायालय के निर्णय से प्रभावित हुए बिना मामले पर नए सिरे से विचार करेगा।

(v) अभिलेख तत्काल दावा अधिकरण को भेजा जाए।

(vi) पक्षकारों को दिनांक 08/01/2014 को संबंधित दावा अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

संजय के. अग्रवाल

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Adv. Tara Chandra Chouhan